रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-27102026-277450
CG-TL-E-27102026-277450

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5581] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948
No. 5581] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)
अधिसूचना

सिकंदराबाद, 26 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5806(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), में 26.03.2026 को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), संख्यांक का.आ.1537, दि.25.03.2026 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित का.सं. 1602 (ई) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्थात् 3000 एमटी लोर्डिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य-तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले में साईदाबाद गांव और जम्मिकुंटा मंडल के रामगुंडम-काज़ीपेट सेक्शन में जम्मिकुंटा टीएसएस का निर्माण" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार, समाचार पत्रों में "नव तेलंगाना (तेलुगु)", "साक्षी (तेलुगु)", "डेक्कन क्रॉनिकल(अग्रेजी)" और "हिंदी मिलाप (हिंदी) में दिनांक 01 अप्रैल,2026 एवं 02 अप्रैल,2026 को मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर, निर्माण- II, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद के अनुमोदन से प्रकाशित किया गया था;

और, जबकि, आपत्तियाँ प्राप्त हुई थीं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार करने के उपरांत उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है और तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं; और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अत: अब सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले में साईदाबाद गांव और जम्मिकुंटा मंडल में 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य के लिए रामगुंडम-काज़ीपेट सेक्शन में जम्मिकुंटा टीएसएस का निर्माण"

क्र. सं.	सर्वे. सं.	संरेखण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र	भूमि की प्रकृति	वर्गीकरण	धरणी के अभिलेखों के अनुसार पट्टेदार का नाम	एंजॉयर /कृषक का नाम	क्षेत्रफल	संरचनाएं/ पेड़/कुआँ/पाइप लाइन आदि.,
1	2	3	4	5	6		7	8
1	13	1.27	पट्टा	शुष्क	उसिकमल्ला संपत सुपुत्र कनकय्या	उसिकमल्ला संपत सुपुत्र कनकय्या	0.23	कब्रें – 2 नग रिंग कुआँ – 1 नग बोरवेल – 6 नग पाइपलाइन – 1 नग
2					उसिकमल्ला राजेश्वरी पत्नी संपत	उसिकमल्ला राजेश्वरी पत्नी संपत	0.21 ½	--
3					मोहम्मद राज मोहम्मद सुपुत्र फकीर मोहम्मद	मोहम्मद राज मोहम्मद सुपुत्र फकीर मोहम्मद	0.13	--

4					उसिकमल्ला सतीश सुपुत्र संपत	उसिकमल्ला सतीश सुपुत्र संपत	0.09 ½	--
कुल							**1.27**	
5	15	1.04	पट्टा	शुष्क	उसिकमल्ला राजेश्वरी पत्नी संपत	उसिकमल्ला राजेश्वरी पत्नी संपत	1.03 ½	--
6					गाजुला सम्मय्या सुपुत्र आगय्या	गाजुला सम्मय्या सुपुत्र आगय्या	0.00 ½	--
कुल							1.04	
सकल योग							**2.31**	

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/JMKT/20E]

मोतीलाल भूक्या, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 26th October, 2026

S.O. 5806(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number,S.O.1602(E), dated the 25.03.2026, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii),gazette No.1537 dated the 26.03.2026 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, "Construction of Jammikunta TSS in Ramagundam-Kazipet section for up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV traction system to meet 3000MT loading target " in Saidabad Village & Jammikunta Mandal in Karimnagar District in the state of Telangana.

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the "NavaTelangana (Telugu)", "Sakshi (Telugu)", "Deccan Chronicle (English)" and "Hindi Milap (Hindi)" dated 01 April, 2026 and 02 April,2026 with the approval of Mothilal Bhookya, Chief Engineer/Con-II, South Central Railway, Secunderabad

And, whereas, objections were received and same have been considered and disallowed by the Competent Authority and accordingly orders have been passed And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition:"Construction of Jammikunta TSS in Ramagundam-Kazipet section for up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV traction system to meet 3000MT loading target " in Saidabad Village & Jammikunta Mandal in Karimnagar District in the state of Telangana.

S. No	Sy No.	Area coming under alignment	Nature of land	Classification	Name of Pattadar as per Dharani	Name of the Enjoyer/ Cultivator	Extent	Structures/ Trees/Wells/ Pipeline etc.,
1	2	3	4	5	6		7	8
1	13	1.27	Patta	Dry	Usikamalla Sampath S/o Kanakaiah	Usikamalla Sampath S/o Kanakaiah	0.23	Tombs -2 Nos. Rings well-1No. Bores- 6 Nos. Pipe Line-1No.
2					Usikamalla Rajeswari W/o Sampath	Usikamalla Rajeswari W/o Sampath	0.21 ½	--
3					Md Raj Mohammad S/o Fakir Mohammad	Md Raj Mohammad S/o Fakir Mohammad	0.13	--
4					Usikamalla Satish S/o Sampath	Usikamalla Satish S/o Sampath	0.09 ½	--
Total							**1.27**	
5	15	1.04	Patta	Dry	Usikamalla Rajeswari W/o Sampath	Usikamalla Rajeswari W/o Sampath	1.03 ½	--
6					Gajula Sammaiah S/o Agaiah	Gajula Sammaiah S/o Agaiah	0.00 ½	--
Total							1.04	
Grand Total							**2.31**	

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/JMKT/20E]

MOTHILAL BHOOKYA, Chief Engineer/Con-II

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA